छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन,केपिटल कॉम्प्लेक्स,
नया रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक 4206 /एफ–2/6/31/एस–2/2014 (पार्ट), नया रायपुर, दिनांक 16/09/2014

प्रति,

मुख्य अभियंता,
..........................कछार/परियोजना
जल संसाधन विभाग,
रायपुर/बिलासपुर/अंबिकापुर (छ॰ग॰)
(विभागाधीन समस्त मैदानी मुख्य अभियंता)

विषयः– **जल संसाधन विभाग की नहरों/नालों के किनारे अथवा क्रास कर विभिन्न औद्योगिक संस्थानों, नगरीय निकाय, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, विविध विभाग/संस्था को गैस पाईप लाइन/टेलीफोन केबल/विद्युत केबल/यूटिलिटी सर्विस लाईन/वृहद् पेयजल पाईप लाईन /औद्योगिक संस्थानों हेतु जल आपूर्ति की पाईप लाईन बिछाये जाने हेतु शासकीय दर निर्धारण बाबत् विभागीय नीति।**

–––––00–––

विषयांतर्गत प्रकरण में, मंत्रि–परिषद की बैठक, दिनांक 16.09.2014 में आयटम क्र.– 11.2 के अंतर्गत लिए गये निर्णयानुसार जल संसाधन विभाग की नहरों/नालों के किनारे अथवा क्रास कर विभिन्न औद्योगिक संस्थानों, नगरीय निकाय, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, विविध विभाग/संस्था को गैस पाईप लाइन/टेलीफोन केबल/विद्युत केबल/यूटिलिटी सर्विस लाईन/वृहद् पेयजल पाईप लाईन/औद्योगिक संस्थानों हेतु जल आपूर्ति की पाईप लाईन बिछाये जाने हेतु शासकीय दर निर्धारण बाबत् विभागीय नीति की छायाप्रति अनुबंध के प्रारूप के साथ शीघ्र आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित है।

कृपया आपके कार्यक्षेत्र के अधीन, प्रकरण से संबंधित औद्योगिक संस्थानों को, प्रकरण में निर्धारित विभागीय नीति की छायाप्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित करें।

सहमत्र :– उपरोक्तानुसार।
(कुल पृष्ठ–06)

सही/
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी,
जल संसाधन विभाग,
मंत्रालय, नया रायपुर

...2

क्रमांक 4207/एफ–2/6/31/एस–2/2014 (पार्ट), नया रायपुर, दिनांक 16/09/2014

प्रतिलिपि –

1. निज सचिव, माननीय मंत्री जी जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर,
2. अवर सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, नया रायपुर,
3. अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर,
4. अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर,
5. अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर,
6. प्रमुख सचिव, छ.ग. शासन, ऊर्जा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर,
7. प्रमुख सचिव, छ.ग. शासन, नगरीय प्रशासन विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर,
8. सचिव, छ.ग. शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर,
9. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, सिहावा भवन, रायपुर

को सूचनार्थ अग्रेषित।

सहमत्र :– उपरोक्तानुसार।
(कुल पृष्ठ–06)

सही/
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी,
जल संसाधन विभाग,
मंत्रालय, नया रायपुर

छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन विभाग

जल संसाधन विभाग की नहरों/नालों के किनारे अथवा क्रास कर विभिन्न औद्योगिक संस्थानों, नगरीय निकाय, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, विविध विभाग/संस्था को गैस पाईप लाइन/टेलीफोन केबल/विद्युत केबल/यूटिलिटी सर्विस लाईन/वृहद् पेयजल पाईप लाईन /औद्योगिक संस्थानों हेतु जल आपूर्ति की पाईप लाईन बिछाये जाने हेतु शासकीय दर निर्धारण बाबत् विभागीय नीति।

---

1 गैस पाईप लाईन/पेट्रोलियम पाईप लाईन/टेलीफोन केबल/विद्युत केबल/यूटिलिटी सर्विस लाईन/वृहद पेयजल पाईप लाईन/औद्योगिक संस्थानों हेतु जल आपूर्ति की पाईप लाईन बिछाये जाने हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदनकर्ता को विभाग के साथ अनुबंध निष्पादित करने के उपरांत ही संबंधित कार्यपालन अभियंता द्वारा कार्य करने की अनुमति दी जावेगी।

2. आवेदनकर्ता को कार्य का विस्तृत ले–आउट प्लान प्रस्तुत करना होगा। जो उसके द्वारा स्वयं नहर के निरीक्षण कर तैयार किया जावेगा।

3. विभागीय भूमि के उपयोग हेतु आवेदित एजेन्सी द्वारा आवश्यक भूमि (क्षेत्रफल) का लाईसेन्स शुल्क, विभाग के खाते में अग्रिम रूप से जमा करना होगा। लाईसेन्स शुल्क के लिये शासन द्वारा जमीन का उस वर्ष में निर्धारित औसत बाजार मूल्य का 10 प्रतिशत अनुसार राशि तय की जाती है। जो अनुबंध के पूर्व एक बार जमा करना होगा। इसके अतिरिक्त सरचार्ज प्रत्येक आगामी तीन वर्ष में लाईसेन्स शुल्क का 15 प्रतिशत पृथक से जमा करना होगा। इस लाईसेन्स की अवधि 25 वर्ष होगी। जिन प्रकरणों में बिजली अथवा टेलीफोन के तार मात्र उपर से गुजरेंगे तथा जल संसाधन विभाग की भूमि को नहीं छुऐंगे, उन प्रकरणों को इससे छूट रहेगी।

3.1 गैस पाईप लाईन/पैट्रोलियम पाईप लाईन/टेलीफोन केबल/विद्युत केबल/ यूटिलिटी सर्विस लाईन/वृहद पेयजल पाईप लाईन/औद्योगिक संस्थानों हेतु जल आपूर्ति की पाईप लाईन बिछाने हेतु उपलब्ध स्थान बताते समय भविष्य में नहर के विस्तारीकरण अथवा रिमाडलिंग को भी ध्यान में रखा जावेगा। तथापि भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर बिछाई गई पाईप लाईन को आवेदित एजेन्सी द्वारा निःशुल्क विस्थापित करना होगा।

3.2 लाईसेन्स शुल्क जमा करने के पश्चात भी उपयोग में लायी गई जमीन पर आवेदित एजेन्सी कोई अधिकार या दावा नहीं कर सकेगा।

3.3 अन्य एजेन्सी को भी ''राईट आफ वे'' के अंतर्गत, यूटिलिटी डालने के लिये अथवा डाली गई यूटिलिटी के नीचे या ऊपर यूटिलिटी बिछाने की अनुमति विभाग द्वारा दी जावेगी। जिसके लिये तकनीकी उपयोगिता का निर्धारण विभाग द्वारा किया जावेगा। प्रथम एजेन्सी द्वारा बिछायी गई यूटिलिटी को किसी दूसरी एजेन्सी द्वारा रूकावट/क्षतिग्रस्त करने की स्थिति में विभाग जिम्मेदार नहीं रहेगा।

3.4 ''राईट आफ वे'' का उपयोग, जिस प्रयोजन हेतु अनुमति दी गई है, उसी कार्य के लिए मान्य होगा। इसके अतिरिक्त कोई भी कार्य जैसे प्रचार प्रसार के टावर, स्मारक आदि, लाईसेन्सी द्वारा नहीं कराया जा सकेगा।

....2

4. यदि किसी भाग में भूमि का औसत दर्शाया गया दर, वास्तविक दर से भिन्न हो तो भी, दर्शाया गया औसत दर अनुसार ही लाईसेन्स शुल्क की गणना की जावेगी, जिसके लिए आवेदक कोई विवाद नहीं कर सकेगा। आवेदित एजेन्सी द्वारा कार्य हेतु आवश्यक भूमि का विवरण एवं माप प्रस्तुत करना होगा।

5. कार्यपालन अभियंता द्वारा संस्थान के आवेदन के आधार पर संयुक्त स्थल निरीक्षण कराया जायेगा एवं नहर में होने वाली वास्तविक क्षति के सुधार हेतु क्षतिपूर्ति राशि के लिये, 10 प्रतिशत सुपरविजन चार्ज सहित प्राक्कलन तैयार कराया जायेगा, तथा ''सुरक्षा राशि'' जोड़कर डिमाण्ड नोट जारी किया जायेगा।

    5.1 नहर को काट कर किये जाने वाले कार्य में आवेदित एजेन्सी द्वारा ''क्षतिपूर्ति राशि'' संबंधित कार्यपालन अभियंता को फिक्स डिपॉजिट के रूप में जमा करना होगा। आवेदित एजेन्सी द्वारा तत्कालिक रूप से खोदी गई ट्रेंच की रिफिलिंग कर उसे समतल किया जायेगा। बाद में विभाग द्वारा उचित मापदण्ड अनुसार क्षतिपूर्ति राशि से मरम्मत इत्यादि कार्य संपादित कराया जा सकेगा। क्षतिपूर्ति राशि वापसी योग्य नही होगी।

    5.2 पूर्ण कार्य दौरान, नहर एवं उस पर निर्मित स्ट्रक्चर की सुरक्षा तथा अनुबंध की शर्तो के पालन को ध्यान में रखते हुए आवेदित एजेन्सी द्वारा रू. 50/– प्रति मीटर की दर से ''सुरक्षा राशि'' जमा करनी होगी। यह राशि संबंधित कार्यपालन अभियंता के पास फिक्स डिपॉजिट के रूप में जमा करनी होगी। कार्य अनुबंध में निहित शर्तो के अनुसार कार्य पूर्ण होने की तिथि से छः माह बाद वापसी योग्य होगी। अनुबंध के शर्तो का पालन न करने पर यह राशि राजसात की जा सकेगी।

    5.3 भविष्य में आवेदित एजेन्सी द्वारा कराये गये कार्य में मरम्मत कार्य या अन्य कार्य हेतु कार्यस्थल पर पुनः खुदाई की जाती है, तो उसे इस बाबत् पुनः क्षतिपूर्ति एवं सुरक्षा राशि का भुगतान कर अनुमति प्राप्त करनी होगी।

6. आवेदित एजेन्सी द्वारा उक्त राशियों का अग्रिम भुगतान किया जावेगा। तत्पश्चात विभाग के साथ अनुबंध निष्पादित किया जायेगा। अनुबंध कार्य करने वाली एजेन्सी के वैधानिक प्रतिनिधि के साथ निष्पादित किया जायेगा, न कि उनके द्वारा स्थानीय स्तर पर कार्य सौंपे गये किसी अन्य एजेन्सी के साथ।

7. कार्य पूर्ण होने पर आवेदित एजेन्सी कार्य पूर्णता की लिखित सूचना कार्यपालन अभियंता को देगी एवं कार्यपालन अभियंता को स्थल का अंतिम निरीक्षण कराया जायेगा।

8. आवेदित एजेन्सी को अनुमति हेतु आवेदन प्रस्तुत करते समय कार्य हेतु आवश्यक समयावधि का भी उल्लेख करना होगा।

सही/
(गणेश शंकर मिश्रा)
सचिव
जल संसाधन विभाग

अनुबंध का प्रारूप

रू. 50/— का स्टाम्प पेपर

(गैस पाईप लाईन/पैट्रोलियम पाईप लाईन/टेलीफोन केबल/विद्युत केबल/यूटिलिटी सर्विस लाईन/वृहद पेयजल पाईप लाईन/औद्योगिक संस्थानों हेतु जल अपूर्ति की पाईप लाईन बिछाने जाने हेतु अनुबंध)

पक्ष क्रमाक — 1 कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग

पक्ष क्रमांक — 2 संबंधित संस्थान (आवेदित एजेन्सी)

पक्ष क्र. 2 ने जल संसाधन विभाग की नहर के किनारे/नहर को क्रास करने हेतु गैस पाईप लाईन/पैट्रोलियम पाईप लाईन/टेलीफोन केबल/विद्युत केबल/यूटिलिटी सर्विस लाईन/वृहद पेयजल पाईप लाईन/औद्योगिक संस्थानों हेतु जल आपूर्ति की पाईप लाईन बिछाने की अनुमति चाही गई है। पक्ष क्र. 2 द्वारा विभागीय गाईड लाईन का अवलोकन करते हुये नियत लाईसेन्स फीस, क्षतिपूर्ति राशि, सुरक्षा राशि जमा करा दी गई है।

पक्ष क्र. 2 को अनुबंध की निम्नांकित शर्तो के आधार पर गैस पाईप लाईन /पैट्रोलियम पाईप लाईन/टेलीफोन केबल/विद्युत केबल/यूटिलिटी सर्विस लाईन/वृहद पेयजल पाईप लाईन/औद्योगिक संस्थानों हेतु जल आपूर्ति की पाईप लाईन बिछाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

1. पक्ष क्र. 2 द्वारा अनुमति प्राप्त करने के आवेदन के साथ संलग्न किये गये नक्शे एवं ले आऊट प्लान के अनुसार ही कार्य किया जावेगा।
2. पक्ष क्र. 2 द्वारा कार्य आरंभ करने से कम से कम एक सप्ताह पूर्व पक्ष क्र. 1 को लिखित सूचना देनी होगी, जिससे कार्य की आवश्यक देख—रेख की समुचित व्यवस्था विभाग द्वारा की जा सके।
3. पक्ष क्र. 2 द्वारा सुरक्षा के सम्पूर्ण प्रबंध किये जावेंगे। आवश्यक बेरीकेट्स, सूचना फलक, रिफ्लेक्टिव बोर्ड एवं लाल झण्डे आवश्यकतानुसार उचित संख्या में लगाये जावेगें। उनके द्वारा यदि रात्रि में कार्य किया जाता है तो उसके द्वारा पक्ष क्र. 1 को पूर्व सूचना दी जावेगी। साथ ही उचित प्रकाश व्यवस्था रिफलेक्टिव मार्कर्स एवं सुरक्षा संबंधी विशेष प्रबंध करने होगें। सुरक्षा के अभाव में किसी भी दुर्घटना की सम्पूर्ण जिम्मेदारी पक्ष क्र. 2 की होगी।

पक्ष क्रमांक — 1 **पक्ष क्रमांक — 2**

4. पक्ष क्र. 2 द्वारा खुदाइ प्रारभ करन क लआऊट का चून का लाइन द्वारा स्थल पर अंकित किया जावेगा। इसे पक्ष क्र. 1 द्वारा नियुक्त मैदानी अमले द्वारा अनुमोदित करने के उपरांत ही खुदाई कार्य प्रारंभ किया जावेगा।

5. नहर के किनारे डाली जाने वाली पाईप लाईन मार्ग के ''राईट आफ वे'' के अंतिम छोर पर अथवा पक्ष क्र. 1 के आदेशानुसार डाली जावेगी।

6. गैस/पेट्रोलियम पदार्थ अत्यंत ज्वलशील एवं विस्फोटक होते है अतः पक्ष क्र. 2 द्वारा गैस पाईप लाईन एवं पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति हेतु डाली जाने वाली पाईप लाईन के लिये खोदी जाने वाली ट्रेन्च इस प्रकार खोदी जावेगी कि पाईप लाईन डालने के पश्चात उसकी ऊपरी सतह जमीन से कम से कम 2 मीटर नीचे हो। अन्य प्रकरणों यथा टेलीफोन केबल/विद्युत केवल/यूटिलिटी सर्विस लाईन/वृहद पेयजल पाईप लाईन/औद्योगिक संस्थानों हेतु जल आपूर्ति की पाईप लाईन में यह गहराई कम से कम 1 मीटर होगी। तथापि पक्ष क्र. 2 द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जावेगा कि यह गहराई उनके द्वारा डाली जाने वाली गैस पाईप लाईन/पैट्रोलियम पाईप लाईन/टेलीफोन केबल/विद्युत केबल/यूटिलिटी सर्विस लाईन/वृहद पेयजल पाईप लाईन/औद्योगिक संस्थानों हेतु जल आपूर्ति की पाईप लाईन की मजबूती एवं उस पर पड़ने वाले दबाव के सापेक्ष पर्याप्त है तथा उनकी मजबूती का सम्पूर्ण दायित्व पक्ष क्र. 2 का होगा। किसी भी आकस्मिक दुर्घटना की दशा में आवेदित एजेन्सी द्वारा तत्काल आवश्यक सुरक्षा उपाय अपनाते हुए इसे मरम्मत किया जावेगा।

7. गैस पाईप लाईन/पैट्रोलियम पाईप लाईन/टेलीफोन केबल/विद्युत केबल/ यूटिलिटी सर्विस लाईन/वृहद पेयजल पाईप लाईन/औद्योगिक संस्थानों हेतु जल आपूर्ति की पाईप लाईन को नहर क्रास कराने हेतु नहर के अधिकतम जल स्तर के 0.50 मीटर के ऊपर से ही की जा सकेगी।

8. नहर क्रास करने हेतु सर्विस बैक काटा जाना अतिआवश्यक होने पर पक्ष क्र. 2 द्वारा ट्रेंच रिफिलिंग का कार्य मुरूम से किया जाकर अच्छी तरह से काम्पेक्ट किया जायेगा

इसके पश्चात विभाग के निर्देशानुसार इसे तत्कालिक रूप से आवागमन योग्य बनाया जायेगा। खोदे गये गढ्ढे को किसी भी स्थिति में एक दिवस से अधिक खुला नहीं छोड़ा जावेगा। पक्ष क्र. 2 द्वारा ट्रेंच की रिफिलिंग एवं मापदण्ड के अनुसार काम्पेक्शन करने के उपरांत खुदाई से निकली हुई सामग्री, अन्य अनुपयोगी सामग्री को स्थल पर हटाकर स्थल पूर्ववत करना होगा।

9. पक्ष क्र. 2 द्वारा अपना कार्य संपादित करते समय उसे इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि पूर्व में अन्य विभाग/एजेन्सी द्वारा बिछाई गई पाईप लाईन/ड्रेनेज लाईन/केबल लाईन को कोई नुकसान न पहुंचे।

10. पक्ष क्र. 2 को यह ध्यान में रखना होगा कि वे मुख्य नहरों जिनमें आवागमन हो उनमें नागरिकों को किसी भी प्रकार की कोई असुविधा न हो। आवश्यकतानुसार कार्य रात्रि में किया जावेगा और कार्य शुरू करने के पूर्व पक्ष क्र. 1 को सूचित करना जरूरी होगा।

11. पक्ष क्र. 2 द्वारा मार्ग में बने स्थाई एवं अस्थाई स्ट्रक्चर, पुल–पुलियों आदि को किसी प्रकार का नुकसान न पहुंचे, इसका विशेष ध्यान रखना होगा तथा आवश्यक ड्राईंग एवं डिजाईन का अनुमोदन के पश्चात ही कार्य कराया जावेगा।

12. पक्ष क्र. 1 द्वारा गैस पाईप लाईन/पैट्रोलियम पाईप लाईन/टेलीफोन केबल/विद्युत केबल/यूटिलिटी सर्विस लाईन/वृहद पेयजल पाईप लाईन/ औद्योगिक संस्थानों हेतु जल आपूर्ति की पाईप लाईन बिछाने हेतु उपलब्ध जगह बताते समय भविष्य के नहर के विस्तारीकरण/रिमाडलिंग को ध्यान में रखा जावेगा, तथापि भविष्य में आवश्यक होने पर पक्ष क्र. 2 द्वारा इसे निःशुल्क विस्थापित करना होगा।

13. यदि पक्ष क्र. 2 द्वारा भविष्य में मरम्मत कार्य या अन्य कार्य हेतु कराये गये कार्य स्थल पर पुनः खुदाई की जाती है तो उसे इस बाबत् पुनः निर्धारित राशि भुगतान करके अनुमति प्राप्त करनी होगी।

14. पक्ष क्र. 2 को अपने आवेदन के समय उल्लेखित समय–अवधि में कार्य पूर्ण करना होगा। पक्ष क्र. 1 द्वारा दी गई अनुमति, उक्त समय–अवधि के लिये वैध होगी। इसके पश्चात यह स्वयमेव निरस्त मानी जावेगी। पक्ष क्र. 2 द्वारा अनुमति की समय–अवधि

बढ़ाने हेतु पुनः आवेदन करना होगा। जिस पर लिया गया निर्णय पक्ष क्र. 2 के लिये बन्धनकारी होगा।

15. कार्य संपादित होने पर संबंधित एजेन्सी द्वारा कार्य पूर्ण होने की जानकारी अनिवार्य रूप से विभाग को देनी होगी जिससे विभाग द्वारा सम्पूर्ण नहर का निरीक्षण कर लिया जावे एवं आवश्यक होने पर वांछित सुधार कार्य कराया जा सके।

16. एक बार कार्य समाप्त होने के उपरांत इस भाग में कोई भी अन्य कार्य किये जाने हेतु पुनः अनुमति प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

17. कार्य के दौरान शर्तों का उल्लंघन पाये जाने पर पक्ष क्र. 1 द्वारा सुरक्षा राशि एवं क्षतिपूर्ति राशि राजसात करते हुए कार्य करने हेतु प्रदत्त अनुमति निरस्त की जा सकती है।

18. अनुबंध के सुरक्षात्मक पहलू कार्य पूर्ण होने के उपरांत भविष्य के लिए भी पक्ष क्र. 2 के लिये बंधनकारी होगें।

19. स्टाम्प पेपर की कीमत सहित अनुबंध में होने वाले समस्त खर्च पक्ष क्र. 2 द्वारा वहन किया जावेगा।

20. पक्ष क्र. 1 एवं 2 के बीच किसी भी विवाद की स्थिति में जल संसाधन विभाग के संबंधित मुख्य अभियंता का निर्णय दोनों पक्षों के लिए मान्य एवं बंधनकारी होगा।

पक्ष क्रमांक – 1

पक्ष क्रमांक – 2